BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 295 of 2025

News Item titled "Nayar river is vanishing – a yatra reveals conservation goes beyond science and policy" appearing in The Down to Earth dated 03.06.2025

INDEX

S.No.	Particulars	Pages
1.	Action Taken report on behalf of the Uttarakhand Pollution Control Board	
2.	Annexure 1 Copy of the letter dated 10.1.2025	
3.	Annexure 2 Copy of the Minutes of the meeting dated 09.02.2026	

Filed by

[MUKESH VERMA]
Advocate for the Uttarakhand Pollution Control Board
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 13.02.2026

Action Taken Report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In the matter of

Original Application no. 295 of 2025

News Item titled "Nayar river is vanishing - a yatra reveals conservation goes beyond science and policy" appearing in The Down To Earth dated 03.06.2025.

1. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 03.11.2025 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

   "...

   7. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Secretary, Ministry of Jal Shakti, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun, Central Water Commission, Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttarakhand, Principal Secretary, Irrigation and Water Resources, Government of Uttarakhand, Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttarakhand State Pollution Control Board (UK SPCB), Director in charge, G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora, District Magistrate, Almora and Mr. Raman Kant, President, Bhartiya Nadi Parishad, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh (Non-Official). The NonOfficial Member of the Committee will be paid honorarium of Rs. 50,000/- (one time) besides travelling and boarding/lodging expenses. The expenses of the Committee for convening meetings, travelling, boarding/lodging etc., will be borne by the UK

SPCB out of environmental compensation amount lying deposited with it. UK SPCB will be the nodal agency for co-ordination and compliance.

8. The Committee shall look into all relevant aspects pertaining to riverine ecology and aquatic life and in particular the issues of (i) identification /demarcation of area of Nayar River and its translation on GIS Map; (ii) rehabilitation and management of its catchment area; (iii) 3 encroachments on the same and removal thereof; (iv) tapping of all drains discharging in River Nayar by construction of STPs etc.; (v) review of existing treatment facilities for treatment of industrial effluents and domestic sewage and improvements required to be made and (vi) reuse of treated water from STPs/CETPs for irrigation by connecting the same to irrigation canals/channels and industrial purposes by laying down pipelines connecting the concerned industries as the case may be.

9. Report of the Joint Committee may be filed at least one week before the date hereby fixed.

…"

2. That in compliance with aforementioned order, the instant action taken report is being filed.
3. It is humbly submitted that the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, vide letter dated 10.11.2025, requested the Secretary, Ministry of Jal Shakti, New Delhi; the Deputy Director General of Forests, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun; the Chairman, Central Water Commission; the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttarakhand; the Principal Secretary, Irrigation and Water Resources, Government of Uttarakhand; the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB); the Director-in-Charge, G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora; the District Magistrate, Almora; and Mr. Raman Kant, President, Bhartiya Nadi Parishad, to nominate a

qualified officer for the joint inspection. It was further informed that Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun has been nominated as the Nodal Officer for coordination and compliance on behalf of the UKPCB. In this connection, a copy of the letter dated 10.11.2025 is being filed and marked as **Annexure no.1**.

4. It is pertinent to mention that a meeting of the Joint Inquiry Committee held on 03.02.2026, and decided that the members of the Committee shall conduct an on-site inspection of the river on 18.02.2026 and 19.02.2026. In this connection, a copy of the Minutes of the meeting dated 09.02.2026 is being filed and marked as **Annexure no.2.**
5. That it is pertinent to mention that the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) is committed to ensure the compliance of the directions given by this Hon'ble Tribunal.
6. The above report is being submitted for the kind consideration of the Hon'ble NGT.

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

Annexure-1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–914/2025/1078 दिनांक 10.11.2025

सेवा में,

1. **Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.**
2. **Deputy Director General of Forests, Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, 25, Subhash Road, Dehradun**
3. **Chairman, Central Water Commission, Vasant Vihar Phase-I, Raj Vihar , Balliwala Dehradun.**
4. **Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change. Govt. of Uttarakhand.**
5. **Principal Secretary, Irrigation & Water Resources, Govt. of Uttarakhand.**
6. **Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032.**
7. **Director, G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Kosi- Katarmal, Amora.**
8. **District Magistrate, Almora.**
9. **Mr. Raman Kant, President, Bhartiya nadi Parishad, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh.**

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 295/2025 **News item titled "Nayar river is vanishing –a yatra reveals conservation goes beyond science and policy" appearing in The Down To Earth dated 03-06-2025** के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 295/2025 News item titled "Nayar river is vanishing –a yatra reveals conservation goes beyond science and policy" appearing in The Down To Earth dated 03-06-2025 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निर्देशों के साथ निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

7. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Secretary, Ministry of Jal Shakti, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun, Central Water Commission, Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttarakhand, Principal Secretary, Irrigation and Water Resources, Government of Uttarakhand, Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttarakhand State Pollution Control Board (UK SPCB), Director in charge, G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora, District Magistrate, Almora and Mr. Raman Kant, President, Bhartiya Nadi Parishad, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh (Non-Official). The NonOfficial Member of the Committee will be paid honorarium of Rs. 50,000/- (one time) besides travelling and boarding/lodging expenses. The expenses of the Committee for convening meetings, travelling, boarding/lodging etc., will be borne by the UK SPCB out of environmental compensation amount lying deposited with it. UK SPCB will be the nodal agency for co-ordination and compliance.

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 में पारित आदेश के क्रम में आपसे अनुरोध है कि विज्ञ अधिकारी को संयुक्त निरीक्षण हेतु

नामित करने का कष्ट करें, ताकि स–समय निरीक्षण कर रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा सके। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 24.02.2026 को नियत है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

विषयगत प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून (मो0नं0–9837156720, ई–मेल–roueppcb@gmail.com) को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 295/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति की बैठक दिनांक 03.02.2026 का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आदेश सं0 295/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निम्नानुसार संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है।

1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
3. केन्द्रीय जल आयोग।
4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखंड शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तराखंड शासन।
6. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
7. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
8. निदेशक, जी0बी0पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, अल्मोडा।
9. जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
10. श्री रमन कान्त, अध्यक्ष, भारतीय नदी परिषद्, प्रथम तल, सम्राट शॉपिग मॉल, गृह रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

उक्त आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त विभागों/मंत्रालयों/संगठनों के नामित सदस्यों के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया जिसकी उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री एस0पी0 सुबुद्वि, निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखंड।
2. श्री रमन कान्त, अध्यक्ष, भारतीय नदी परिषद्, प्रथम तल, सम्राट शॉपिग मॉल, गृह रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। (वी0सी0 के माध्यम से)
3. श्री धीरज जोशी, निदेशक II (UI) भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय। (वी0सी0 के माध्यम से)
4. सुश्री गौरी प्रभात संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत, जिला अल्मोडा। (वी0सी0 के माध्यम से)
5. केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।
   (i) श्री सुधीर कुमार, अधीक्षण अभियंता। (वी0सी0 के माध्यम से)
   (ii) श्री शिवम त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता। (वी0सी0 के माध्यम से)
   (iii) श्री अंकुर पटेल, उपविभागीय अधिकारी।(वी0सी0 के माध्यम से)
6. डा0 कुसुम पांडे, साइंटिस्ट–सी, गढवाल क्षेत्रीय केन्द्र, जी0बी0 पन्त, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, श्रीनगर गढवाल, उत्तराखंड। (वी0सी0 के माध्यम से)
7. श्री विपिन गुप्ता, साइंटिस्ट–सी, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून। (वी0सी0 के माध्यम से)
8. श्री अरविंद कुमार, साइंटिस्ट–सी, सी0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ। (वी0सी0 के माध्यम से)
9. श्री हरीश चन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, श्रीनगर। (वी0सी0 के माध्यम से)
10. उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
   (i) श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)।
   (ii) श्री एस0एस0 चौहान, सहा0वैज्ञा0अधि0।
   (iii) श्री रचित नेगी, जे0आर0एफ0।

सर्वप्रथम प्रकरण पर नोडल ऐंजेन्सी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशो के क्रम में वर्तमान तक कृत कार्यवाही का विवरण समिति के सदस्यो के समक्ष रखा गया।

1. जिला अधिकारी अल्मोड़ा की ओर से नामित सदस्य संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नयार रीवर अल्मोड़ा जनपद में नही बहती है। चर्चा के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य तथा जी0बी0पन्त, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, अल्मोडा से नामित सदस्य द्वारा भी कहा गया कि उक्त नदी जनपद अल्मोडा से नही बहती है, इस सम्बन्ध में निर्णित हुआ कि केन्द्रीय जल आयोग तथा जी0बी0पन्त, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, अल्मोडा उक्त नयार रीवर के Identification/demarcation of area of nayar river के सबंध में उनके पास उपलब्ध विवरण GIS मैप आदि की जानकारी समिति को उपलब्ध करायेंगे।

2. Rehabilitation and Management के सम्बन्ध में जी0बी0पन्त, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, अल्मोडा के सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सबंध में वह प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. Encroachments and Removal के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में जनपद पौड़ी, चमोली के जिला प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन को भी इस प्रकरण मे शामिल करते हुए यदि कोई Encroachment है तो उसके Removal के सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्तर से कार्यवाही कराया जाना उचित होगा।

4. **नयार रीवर पर ड्रैन्स के मैपिंग तथा एस0टी0पी के निर्माण के सम्बन्ध में हुयी चर्चा के दौरान संज्ञान में आया कि वर्तमान में नयार रीवर पर कोई एस0टी0पी संचालित नही है। इस सम्बन्ध मे निर्णय लिया गया कि उक्त नदी में प्रस्तावित/संचालित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 तथा नदी में गिरने वाले ड्रैन्स आदि के सबंध में जिला गंगा समिति/एस0पी0एम0जी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।**

5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नयार रीवर के Catchment Area में किसी भी प्रकार की औद्योगिक ईकाईयॉ स्थापित/संचालित नही है। साथ ही राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा सम्बन्धित स्थलों का निरीक्षण दिनांक 23.08.2025 को किया गया था। सम्बन्धित स्थलों के निरीक्षण के दौरान नयार नदी के दो स्थलों पर बानघाट **व ब्यास घाट पर जल के नमूने एकत्र किये गये एवं विश्लेषण किये गये थे, जिसमें जल गुणवता A श्रेणी की पायी गयी है** [As Per Designated Best Use (DBU)] इसके अतिरिक्त नयार नदी, **सतपुली में बोर्ड द्वारा** अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम, सतपुली में जल गुणवत्ता का मासिक अनुश्रवण/परीक्षण किया जा रहा है जिसमें नयार नदी की जल गुणवत्ता A श्रेणी की है [As Per Designated Best Use (DBU)]

6. शुद्विकृत उत्प्रवाह के सिंचाई में पुनः प्रयोग के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग श्री हरीश चन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत शुद्विकृत उत्प्रवाह को कैनाल द्वारा पुनः सिंचाई में प्रयोग किया जाना सम्भव नहीं हैं। यद्यपि शुद्विकृत उत्प्रवाह को नयार नदी में छोड़कर, नयार नदी में प्रस्तावित किये जा रहे बॉध से सिंचाई में प्रयोग कराया जा सकता है।

7. **चर्चा के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि सतपुली में नयार नदी का जल स्तर अनुश्रवण किया जाता है जिसमें कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। इस**

सबंध में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय जल आयोग लीन पीरियड सहित उक्त डाटा समिति को उपलब्ध करायेगा।

8. श्री रमन कांत द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त नदी के सबंध में जो भी सहयोग अपेक्षित होगा, वह उनके स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा एवं आशा की गयी है कि सभी के सहयोग से नदी के पुनरुद्वार की ओर हम सब आगे बढ सकेगें।

अंत में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति सदस्यों द्वारा नदी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.02.2026 व 19.02.2026 को किया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 09/2/26
(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

UTTARAKHAND UKPCB — LiFE Lifestyle For Environment

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेली फोन नं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी / आरओडी / NGT-133 / 2025–26 / 4036-2941 दिनांक: 09/02/2026

सेवा में,

1. निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखंड।
2. श्री रमन कान्त, अध्यक्ष, भारतीय नदी परिषद्, प्रथम तल, सम्राट शॉपिग मॉल, गृह रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
3. श्री धीरज जोशी, निदेशक II (UI) भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय।
4. संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत, जिला अल्मोडा।
5. श्री सुधीर कुमार, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।
6. श्री शिवम त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।
7. श्री अंकुर पटेल, उपविभागीय अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।
8. डा0 कुसुम पांडे, साइंटिस्ट–सी, गढवाल क्षेत्रीय केन्द्र, जी0बी0 पन्त, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, श्रीनगर गढवाल, उत्तराखंड।
9. श्री विपिन गुप्ता, साइंटिस्ट–सी, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
10. श्री अरविंद कुमार, साइंटिस्ट–सी, सी0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
11. श्री हरीश चन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, श्रीनगर।

(हस्ताक्षर) 09/2/26
(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषितः–

1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
3. केन्द्रीय जल आयोग।
4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखंड शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तराखंड शासन।
6. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
7. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
8. निदेशक, जी0बी0पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, अल्मोडा।
9. ज़िला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)